"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012— श्रावण 12, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुखहरण कुमार साहू आत्मज श्री नारद दास साहू, उम्र 27 साल, निवासी-क्वार्टर नं. 25/एच, सड़क नं. 6, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम देवकृष्ण साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे देवकृष्ण साहू आत्मज श्री नारद दास साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

दुखहरण कुमार साहू
आत्मज - श्री नारद दास साहू
निवासी-क्वार्टर नं. 25/एच
सड़क नं. 6, सेक्टर 2, भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

देवकृष्ण साहू
आत्मज - श्री नारद दास साहू
निवासी-क्वार्टर नं. 25/एच
सड़क नं. 6, सेक्टर 2, भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीलम कुमार साहू आत्मज-स्वर्गीय कृष्णा साहू, निवासी ग्राम-बेलगांव, पोस्ट-जटकन्हार, तहसील डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगाव (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम नीलम कुमार साहू को परिवर्तित कर अपना नाम नवीन कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे नवीन कुमार साहू आत्मज स्व. कृष्णा साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
नीलम कुमार साहू आत्मज - स्व. कृष्णा साहू निवासी-ग्राम-बेलगांव पो.-जटकन्हार तहसील -डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	नवीन कुमार साहू आत्मज - स्व. कृष्णा साहू निवासी-ग्राम-बेलगांव पो.-जटकन्हार तहसील -डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार पिता श्री वासुदेव, आयु 48 वर्ष, निवासी-के-05/11, नेताजी मार्केट खुर्सीपार भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश मनीष कुमार साहू एवं मनीष कुमार शाह पिता विजय कुमार शाह, साहू दर्ज हो गया है जिसे सुधार कर सही नाम मनीष कुमार पिता विजय कुमार, माता श्रीमती रेखा देवी अंकित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को मनीष कुमार पिता विजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
मनीष कुमार साहू आत्मज - विजय कुमार साहू मनीष कुमार साह पिता - विजय कुमार साह निवासी-के-05/11 नेताजी मार्केट-खुर्सीपार, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	मनीष कुमार आत्मज - विजय कुमार निवासी-के-05/11 नेताजी मार्केट-खुर्सीपार, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, क्षमा श्रीवास्तव आत्मजा श्री हौशिला लाल श्रीवास्तव , उम्र 41 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 03/बी, सड़क 5, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के चिकित्सा विभाग में नर्स के पद पर कार्यरत हूं. मेरे बारहवीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम क्षमा आ. श्री हौशिला लाल श्रीवास्तव अंकित है तथा शेष सभी अंकसूचियों में मेरा नाम क्षमा श्रीवास्तव आ. श्री हौशिला लाल श्रीवास्तव दर्ज है. बारहवीं कक्षा की अंकसूची के अनुसार मेरा उपनाम विभाग के दस्तावेजों में अंकित नहीं है. अत: विभागीय दस्तावेजों में उपनाम जोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे क्षमा श्रीवास्तव आत्मजा श्री हौशिला लाल श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
क्षमा आत्मजा - श्री हौशिला लाल श्रीवास्तव निवासी-क्वा नं. 03, सड़क नं. 5 सेक्टर 2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	क्षमा श्रीवास्तव आत्मजा - श्री हौशिला लाल श्रीवास्तव निवासी-क्वा नं. 03, सड़क नं. 5 सेक्टर 2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेश कुमार वर्मा पिता श्री डोंगर राम वर्मा, उम्र 41वर्ष, निवासी-293 बी., रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के विभाग एस. एम. एस. 1, अनुभाग टी. टी. एस. में सीनियर टेक्निशियन के पद पर कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नरेश कुमार पिता श्री डोंगर राम दर्ज है, मैं अपने नाम के आगे उपनाम जोड़कर अपना नाम नरेश कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे नरेश कुमार वर्मा पिता श्री डोंगर राम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
नरेश कुमार पिता - श्री डोंगर राम निवासी-293 बी., रिसाली सेक्टर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	नरेश कुमार वर्मा पिता - श्री डोंगर राम वर्मा निवासी-293 बी., रिसाली सेक्टर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए]

क्रमांक 1572/वाचक-1/2012.—यह कि श्री टी. एस. सिंह देव आ. श्री एम. एस. सिंह देव, निवासी-तपस्या, रायगढ़ रोड, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13-08-2012 को विचार के लिये जायेगा.

अत: मैं, तीर्थराज अग्रवाल, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13-08-2012 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	सिद्धेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम सरगवां, पो.-सकालो, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

जारी दिनांक 11-07-2012.

तीर्थराज अग्रवाल,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2012

प्र. क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /460/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश गोलछा वल्द रानीदान गोलछा, निवासी 53 जलविहार कालोनी, रायपुर ने समर्पण ट्रस्ट, 53 जलविहार कालोनी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 16-07-2012 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	समर्पण ट्रस्ट, 53 जलविहार कालोनी, रायपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	5001/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20-06-2012 को जारी.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.